(6)

संख्या वी-3-4129/दस-95-100(9)/88

प्रेषक,

श्री पी० के० मिश्र,
सचिव, वित्त
(वित्त आयोग),
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष,
जिला जज एवं जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 10 अक्टूबर, 1995

विषय :--राज्य कर्मचारियों के लिए गृह निर्माण अग्रिम की योजना को उदार बनाया जाना ।

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या वी-3-6518/दस-88-100(9)/88, दिनांक 8 दिसम्बर, 1988 के अनुसार भवन निर्माण अग्रिम की स्वीकृति हेतु आवेदक राज्य कर्मचारियों के लिए प्रतिदान हेतु क्षमता निम्नवत् निर्धारित है :--

अवशेष सेवा की अवधि	प्रतिदान हेतु क्षमता का स्लैब
(क) 20 वर्ष के बाद सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी	मूल वेतन का 35 प्रतिशत
(ख) 10 वर्ष के पश्चात् किन्तु 20 वर्ष से पहले सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी	मूल वेतन का 40 प्रतिशत
(ग) 10 वर्ष के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी	मूल वेतन का 50 प्रतिशत ।

2. जिन राज्य कर्मचारियों का अवशेष सेवाकाल 20 वर्ष अथवा उससे कम रह जाता है उन्हें वर्तमान में निर्धारित उक्त प्रतिदान क्षमता के कारण नियमानुसार अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत अधिकतम धनराशि अनुमन्य नहीं हो पाती। भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए कम अवशेष सेवाकाल वाले राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण हेतु नियमानुसार अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत अधिकतम धनराशि का अग्रिम अनुमन्य कराने के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय उक्त प्रतिदान हेतु क्षमता को निम्नवत् पुनर्निर्धारित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं --

अवशेष सेवा की अवधि	प्रतिदान हेतु क्षमता का स्लैब
(क) 20 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी	मूल वेतन का 35 प्रतिशत
(ख) 10 वर्ष के पश्चात् किन्तु 20 वर्ष से पहले सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारी	मृत्यु एवं अधिवर्षता आनुतोषिक के 60 प्रतिशत धनराशि के समायोजन के उपरान्त मूल वेतन का 40 प्रतिशत ।
(ग) 10 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी	मृत्यु एवं अधिवर्षता आनुतोषिक के 70 प्रतिशत धनराशि के समायोजन के उपरान्त मूल वेतन का 50 प्रतिशत ।

3. ग्रेच्युटी से उपरोक्तानुसार समायोजन करते हुए अग्रिम तभी स्वीकृत किया जाएगा जब कर्मचारी उक्त आशय का लिखित अनुरोध करे ।

4. मृत्यु एवं अधिवर्षता आनुतोषिक की गणना उस काल्पनिक मूल वेतन के आधार पर की जाएगी, जो सम्बन्धित कर्मचारी अपनी अधिवर्षता के समय वर्तमान वेतनमान में अर्हकारी सेवा पूरी करने पर आहरित करेगा। यदि भविष्य में ग्रेच्युटी की धनराशि में पुनरीक्षण के फलस्वरूप कोई वृद्धि हो जाती है तो ग्रेच्युटी में ऐसे पुनरीक्षण के आधार पर पूर्व में स्वीकृत अग्रिम की धनराशि में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी ।

5. मृत्यु एवं अधिवर्षता आनुतोषिक के अनन्तिम रूप से भुगतान की दशा में अन्तरिम आनुतोषिक की धनराशि में से भवन निर्माण/क्रय अग्रिम की अवशेष धनराशि की वसूली पुस्तक समायोजन द्वारा की जाएगी। तत्सम्बन्धी ट्रेजरी चालान में प्रश्नगत अग्रिम के पूर्ण विवरण दिए जायेंगे और मूलधन तथा ब्याज के पृथक-पृथक चालान (तीन प्रतियों में) आनुतोषिक भुगतान बिल के साथ संलग्न किए जायेंगे। यह समायोजन सम्बन्धित कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को किया गया माना जाएगा।

6. जिन मामलों में प्रथमतः अन्तरिम आनुतोषिक का भुगतान न करके यदि मृत्यु एवं अधिवर्षता आनुतोषिक का सीधे अन्तिम भुगतान किया जाय तो ऐसे मामलों में भी अग्रिम की अवशेष धनराशि के समायोजन के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही वांछित होगी।

7. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से प्रश्नगत अग्रिम की अवशेष धनराशि तथा उस पर देय ब्याज की सूचना प्राप्त करके उपर्युक्तानुसार समायोजन की कार्यवाही की जाए। यदि उपरोक्त सूचना प्राप्त होने में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से विलम्ब की सम्भावना हो तो पैरा-2 के अनुसार यथास्थिति आनुतोषिक की 60 प्रतिशत अथवा 70 प्रतिशत राशि अग्रिम की वसूली हेतु रोक ली जाए, जिसका भुगतान/समायोजन महालेखाकार से वांछित सूचना प्राप्त होने पर ही किया जाए।

8. जहां तक अखिल भारतीय सेवाओं के राज्य सम्वर्ग के अधिकारियों का सम्बन्ध है, चूंकि ये अधिकारी "द आल इण्डिया सर्विसेज" (हाऊस बिल्डिंग एडवान्स) रूल्स, 1978 से शासित होते हैं, अतः उन्हें भवन निर्माण अग्रिम उक्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत किया जायेगा।

9. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

10. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के संगत नियमों में संशोधन की कार्यवाही अलग से की जाएगी।

भवदीय,
पी० के० मिश्र,
सचिव, वित्त।
(वित्त आयोग)।

संख्या बी-3-4129(1)/दस-95-100(9)/88 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ० प्र०, इलाहाबाद।
(2) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(3) विधान सभा/विधान परिषद्/राज्यपाल सचिवालय।
(4) निबन्धक, उच्च न्यायालय, उ० प्र०, इलाहाबाद।
(5) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 को वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 में आवश्यक संशोधन हेतु।
(6) वित्त (नियमावली कोष्ठक) अनुभाग (दो प्रतियों में)।

आज्ञा से,
प्रेम प्रकाश वैरिया,
विशेष सचिव, वित्त।

बी०एस०यू०पी०-ए० पी० 103 सा० वित्त-16-10-95-(3768)-1995-10,000 (मेक०)।